

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
कोटकासिम

(लोक-अदालत / कैम्प कोर्ट) कैम्प...ईकरोटिया

पीठासीन अधिकारी:- विश्वामित्र मीना, आरएएस

उन्वान

अशोक कुमार.....बनाम.....रामकंवार वगैरा

वस्तु.....तकासमा मय हुक्मईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 53-188 रा0 का0 अधि0 1955

क्रमांक नम्बर :-17/18.06.015

दिनांक:- 20.06.2017

वादी की ओर से.....वादी वकील.... उपस्थिति व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी वकील की उपस्थिति में
वाद में आज तारीख 20.06.2017 को मुझ विश्वामित्र मीना, आरएएस, उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम(अलवर) के समक्ष
म निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:- (1) रमेशसिंह, सुरेशकुमार,
रामकुमार पुत्रान रतिराम, चान्दबाई पत्नी रतिराम जाति जाट निवासी ग्राम करवड को आराजी खसरा नम्बर 282/0.15,
1/0.18, 295/1/0.13 पर विभाजन प्रस्ताव अनुसार व आराजी खसरा नम्बर 231/1/0.15 सडक से लगता लम्बवत
दिशा की तरफ लगान 10.68 रुपयें ग्राम करवड तहसील कोटकासिम जिला अलवर पर तथा (2) रामकंवार, सुबेसिंह,
म. पुत्रान जलसिंह 3/7 हिस्सा, दयाराम फतेहसिंह पुत्रान व सुनील सुमन पूनम चिडिया पुत्रियान व कन्नी पत्नी पूरण
7, प्रदीप प्रशान्त पुत्रान व प्रमिला पत्नी व प्रति पुत्री अनील हिस्सा 1/7, बलजीत उम्मेद अजीत ईन्द्रजीत दलवीर माता
ला पुत्री जलसिंह हिस्सा 1/7, मनजीत कृष्ण पुत्रान रामरति(नाबालिग) सरपरस्त माता रामरति जाति जाट निवासी ग्राम
वड तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 को आराजी खसरा नम्बरान 291/0.17, 68/2/0.18, 295/2/0.17
रा पर विभाजन प्रस्ताव अनुसार व आराजी खसरा नम्बर 231/2/0.15 सडक से लगता लम्बवत दक्षिण दिशा की तरफ
लगान 9.77 रुपयें वाके ग्राम करवड तहसील कोटकासिम जिला अलवर पर अलग खाता कायम करने व खातेदार काशतकार
की करने के आदेश दिये जाते हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादीगण को हुक्मईम्तनाई
दामी से पाबन्द किया जाता है कि वह वादी के अलग खाते कब्जे काशत की आराजी में किसी भी प्रकार की मजाहमत व
सखलत पैदा नहीं करे। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे। निर्णय व डिक्री कैम्प कोर्ट
लिखाया जाकर सुनाया गया।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।



(विश्वामित्र मीना)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.कलक्टर,कोटकासिम

मूल वाद में पर्चा डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
कोटकासिम

(लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प...ईकरोटिया

पीठासीन अधिकारी:- विश्वामित्र मीना, आरएएस

उनवान

अशोक कुमार.....बनाम.....रामकंवार वगैरा

शब्द.....तकासमा मय हुक्मईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 53-188 रा0 का0 अधि0 1955

ना नम्बर :-17/18.06.015

दिनांक:- 20.06.2017

वादी की ओर से.....वादी वकील.... उपस्थिति व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी वकील की उपस्थिति में
वाद में आज तारीख 20.06.2017 को मुझ विश्वामित्र मीना, आरएएस, उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम(अलवर) के समक्ष
म निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:- (1) रमेशसिंह, सुरेशकुमार,
ककुमार पुत्रान रतिराम, चान्दबाई पत्नी रतिराम जाति जाट निवासी ग्राम करवड को आराजी खसरा नम्बर 282/0.15,
1/0.18, 295/1/0.13 पर विभाजन प्रस्ताव अनुसार व आराजी खसरा नम्बर 231/1/0.15 सडक से लगता लम्बवत
र दिशा की तरफ लगान 10.68 रुपयें ग्राम करवड तहसील कोटकासिम जिला अलवर पर तथा (2) रामकंवार, सुबेसिंह,
म, पुत्रान जलसिंह 3/7 हिस्सा, दयाराम फतेहसिंह पुत्रान व सुनील सुमन पूनम चिडिया पुत्रियान व कन्नी पत्नी पूरण
7, प्रदीप प्रशान्त पुत्रान व प्रनिला पत्नी व प्रति पुत्री अनील हिस्सा 1/7, बलजीत उम्मेद अजीत ईन्द्रजीत दलवीर माता
पुत्री जलसिंह हिस्सा 1/7, मनजीत कृष्ण पुत्रान रामरति(नाबालिग) सरपरस्त माता रामरति जाति जाट निवासी ग्राम
वड तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 को आराजी खसरा नम्बरान 291/0.17, 68/2/0.18, 295/2/0.17
घा पर विभाजन प्रस्ताव अनुसार व आराजी खसरा नम्बर 231/2/0.15 सडक से लगता लम्बवत दक्षिण दिशा की तरफ
गान 9.77 रुपयें वाके ग्राम करवड तहसील कोटकासिम जिला अलवर पर अलग खाता कायम करने व खातेदार काश्तकार
र्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादीगण को हुक्मईम्तनाई
वानी से पाबन्द किया जाता है कि वह वादी के अलग खाते कब्जे काश्त की आराजी में किसी भी प्रकार की मजाहमत व
दाखलत पैदा नहीं करे। निर्णय व डिक्री कैम्प कोर्ट में लिखाया जाकर सुनाया गया।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज तारीख 20.6.17 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर

दी गई।



(विश्वामित्र मीना)

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.कलक्टर,कोटकासिम
कैम्प कोर्ट ईकरोटिया